संख्या–4079/पी/बाईस–2188/72

प्रेषक,

ऋषि कुमार कौल,
आयुक्त एवं गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

गृह कारागार अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 1973

विषय–बन्दियों को पैरोल प्रदान करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

पैरोल सम्बन्धी प्रार्थना–पत्रों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया के निर्धारण का विषय सक्रिय रूप में शासन के विचाराधीन था और विस्तृत परीक्षण के बाद शासन ने इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारों को जिला मजिस्ट्रेटों तथा मण्डलायुक्तों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 की उप धारा 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में प्रतिनिहित करने का निर्णय लिया है।

1– जिला मजिस्ट्रेट ऐसे बन्दियों का जो उनके जिले के निवासी हैं, और जिन्हें हत्या व डकैती के अभियोग के लिए दण्डित नहीं किया गया है, 15 दिन तक की अवधि के लिए निम्नलिखित आधारों पर पैरोल प्रदान कर सकेगें :–

(क) बंदी के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई अथवा बहिन की गम्भीर बीमारी।
(ख) उपर्युक्त उप प्रस्तर (क) में वर्णित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु।
(ग) बन्दी के पुत्र, पुत्री, भाई अथवा बहिन का विवाह।

2– मण्डलायुक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत प्रदत्त पैरोल की अवधि में 15 दिन तक की अवधि की वृद्धी प्रदान कर सकेगें, जबकि वे इससे अश्वस्त हों कि वर्णित सम्बन्धितों की बीमारी जारी है अथवा वर्णित सम्बन्धी की शादी बन्दी पूर्व प्रदत्त पैरोल की अवधि में ऐसे कारणों से सम्पन्न न कर सका, जो उसके सामर्थ्य से बाहर थे।

3– मण्डलायुक्त अपने मण्डलों के जिलों के निवासी बन्दियों को निम्नलिखित आधारों पर उनके सामने अंकित अवधि के लिए पैरोल प्रदान कर सकेगें :–

(क) हत्या अथवा डकैती के लिए दण्डित बन्दियों के उन सम्बन्धियों जिसका उल्लेख उपर्युक्त प्रस्तर–1 में दिया गया है, की गम्भीर बीमारी, मृत्यु अथवा विवाह के लिए ——— 15 दिन तक।
(ख) बंदी की कृषि भूमि में कृषि सम्बन्धी कार्य और बौआई के लिए इस प्रतिबन्ध सहित कि इसके लिए कोई अन्य प्रबन्ध सम्भव न हो ——— 1 मास तक।
(ग) बन्दी की भूमि में उपजी फसलों की कटाई व मड़ाई आदि के लिए इस प्रतिबन्ध सहित कि इसके लिए कोई अन्य प्रबन्ध सम्भव न हो ——— 15 दिन तक
(घ) बन्दी के परिवार के आवास में परमावश्यक मरम्मत के लिए यदि उसके लिए अन्य प्रबन्ध सम्भव न हो ——— 1 माह तक।

4– मण्डलायुक्त अपने द्वारा दिए गए पैरोल की अवधि में 15 दिन तक की वृद्धि प्रदान कर सकेगें, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पूरी पैरोल की अवधि एक मास से अधिक न हो।